

पूर्व रेलवे
EASTERN RAILWAY
Howrah Division

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक/पूर्व रेलवे/हावड़ा

सीलबंद कोटेशन, इस बुलेटिन में सूचीबद्ध मदों के लिए पूर्व रेलवे के पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं।

सभी निविदाकर्ता की अपने-अपने कोटेशन का यह उत्तरदायित्व देना होगा कि वे ठेकों के आई.आर.एस शर्तों को स्वीकार करें। ऐसे उत्तरदायित्व के अभाव में या इसके विपरीत यह माना जाएगा कि ठेकों के आई आर. एस शर्त उनके द्वारा स्वीकार किया जाएगा। कोटेशन देने के पूर्व, निविदाकर्ताओं को अनुरोध किया जाता है कि वे निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्वाइंटों को नोट करें।

OFFICE OF THE Sr. DIVISIONAL MATERIALS MANAGER/E.RLY/HOWRAH.

All tenderer shall have to give an undertaking in their quotations that they shall accept the I.R.S. Conditions of Contracts. In absence of any such undertaking or any thing contrary there to it will be presumed that I.R.S. condition of contracts will be acceptable by them. Before giving quotations, tenderers are requested to note the following important points.

1. कोटेशन प्रत्येक मदों के लिए अलग – अलग दिए जाएं। एक लिफाफे में एक मामले के लिए एक ही कोटेशन होना चाहिए तथा सीलबंद लिफाफे के ऊपर टेण्डर केस सं.और खुलने की तारीख अवश्य लिखा हो।

Quotations are to be given separately for individual items. One envelope should contain single quotation for single case and the tender case no. and opening date must be super scribed over the sealed envelope.

2. सीलबंद कोटेशनों को टेंडर बॉक्स में डाला जाय जो वरिष्ठ मण्डल सामग्री/मण्डल रेल प्रबंधक,पूर्व रेलवे,हावड़ा के कार्यालय में निर्धारित तिथि को खुलेगा या खुलने की तिथि तथा समय के पूर्व उस कार्यालय में पहुँचे, निविदाकर्ताओं को जो पोस्ट के माध्यम से कोटेशन भेजना चाहता है तो इस कार्यालय के डाकों के असामान्य पावती तथा प्रेषण में विलम्ब को ख्याल रखें जो लगभग दो दिन होगा। पत्राचार का पता निम्नानुसार हो जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में टेण्डर 'नॉट टू ओपन' लिखा हो।

पता:- वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक के कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक भवन,पूर्व रेलवे,हावड़ा पिन-711101

Sealed quotations must be dropped in the tender box meant for opening on due Date, in the office of Sr. Divisional Materials Manager /D.R.M. Building, Eastern Railway, Howrah or must reach that office before the opening date and time. Tenderers, who intend to send quotation through post, must take care of the delay due to informal receipt and dispatch of daks of this office which is about 2 days. Postal Address to be mentioned as follows and may be superscripted in block letters "TENDER NOT TO OPEN".

Address: Office of Sr.Divisional Material Manager, DRM office building, Eastern Railway Howrah, Pin -711101.

3. निविदाकर्ता अपने मान्य आई टी सी सी/पैन कापी कोटेशन प्रस्तुत करते समय अवश्य दें।
Tenderers must submit their valid ITCC/PAN copy at the time of submitting quotation.
4. निविदाकर्ता दर को दोनों अक्षरों तथा अंको में लिखें। इसी दर पर इकाई पर जो बुलेटिन में मदों के सामने यथा उल्लेखित अवश्य कोट करें।उनके प्रस्ताव फार्मों में विभिन्न स्थानों पर दो दरों का उल्लेख करने पर उनके प्रस्ताव को वाणिज्य रूप से उदासीन माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
Tenderers must quote the rates both in figures and in words at the same rate unit as mentioned against the item in the bulletin, quoting two rates at different places in their offer forms, the offer of the firm will be treated as commercially unresponsive and will be summarily rejected.
5. बुलेटिन में अभ्युक्ति कॉलम के अनुसार निरीक्षण किया जाएगा।
Inspection will be done as per Remarks column in the bulletin.
6. चूकि मंडल क्रय आदेश के लिए सुपुर्द की गयी मदों हेतु पावती नोट की पद्धति नहीं है। चालन के स्वीकृत प्रति तथा निरीक्षण प्रमाणपत्र के साथ बिल प्रस्तुत करने पर 100% भुगतान किया जाएगा।आंशिक भुगतान की अनुमति नहीं है।
Since there is no system of receipt note for items delivered against this Divisional Purchase orders, 100% payment will be made on submission of bill along with accepted copy of challan and inspection certificate, No part payment shall be allowed.
7. **निविदाकर्ता मेकर नाम तथा कोट किए जाने वाला मदों के ब्रांड का उल्लेख करें।**
Tenderers must mention the Maker's name & brand of the items quoted for.

8. निविदाकर्त्ता उनके कोटेशन में वैट रजिस्ट्रेशन नं. का उल्लेख करें। बिना वैध वैट/सी एस टी रजिस्ट्रेशन नं. के वैट/सी एस टी के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
Tenders must mention in **vat registration no.** in their quotation. No claim of VAT/CST shall be entertained without valid VAT/CST registration No.
9. रेलवे प्रशासन ऐसे कार्य हेतु बिना कोई कारण बताए किसी प्रस्ताव को स्वीकारने, रद्द करने, कम करने या विभक्त करने के अधिकार रखता है।
The Railway Administration reserves the right to accept, cancel, reduce or divide quantity of any offer without assigning any reason for such action.
10. निविदा बॉक्स खुलने के दिन निविदा 11.00 बजे बंद किया जाएगा जिसके समय का उल्लेख किया गया है।
Tender box will be closed at 11.00 hrs on the opening date mentioned against the time.
11. निविदा खुलने के दिन निविदा 11.30 बजे खोला जाएगा जिसके समय का उल्लेख किया गया है।
Tender will be opened at 11.30 hrs on the opening date mentioned against the time
12. जब कभी फर्म मूल्य कोट कर रहा हो जिसमें एक्साइज ड्यूटी शामिल हो तब भुगतान दावा करने के समय फर्म को एक्साइज ड्यूटी के लिए कागजाती साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा जिसके विफल होने पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
Whenever firm is quoting prices inclusive of excise duty then at the time of claiming payment firm will have to produce documentary evidence towards excise duty payment failing which no payment will be made.
13. फर्म को टेलीफोन सं. तथा फैक्स नं., ई मेल पता आदि के साथ कोट करना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया हो तो प्रस्ताव अस्वीकार किया जाएगा।
Firm should quote with his Telephone No., Fax No. email address etc failing which offer may be ignored.
14. The offer/Quotations should be valid for 60 (sixty) days from the date of opening.
संलग्न : एक बुलिटन संदर्भ हेतु।

संकेताक्षर ABBREVIATION

ए = भंडार से सुपुर्दगी

A = Delivery ex-stock

बी = यथाशीघ्र सुपुर्दगी की तारीख दें ।

B= Earliest delivery period to be quoted

सी = निविदाकार पत्र के साथ समान या समरूप वस्तु का सत्यापन प्रस्तुत करें।

C= Credential must be submitted along with the quotation for the same or identical item.

आई= रेलवे के स्वनिर्णय पर आरआईटीईएस/प्रेषिती द्वारा निरीक्षण।

I= Inspection by RITES/Consignee at the discretion of Railway.

आईसी = प्रेषिती द्वारा निरीक्षण

IC = Inspection by Consignee

आईपी= आरआईटीईएस द्वारा निरीक्षण

IP= Inspection by RITES

आर= आरडीएसओ द्वारा निरीक्षण

R = Inspection by RDSO

आरडी= यह मद आरडीएसओ अनुमोदित फर्मों के लिए सुरक्षित है ।

RD= this item is restricted to RDSO approved firms.

एम = केवल निर्माणकर्ता या उसके व्यवसायी वैध प्रमाण पत्र के साथ निविदा फार्म भरें।

M= Only manufacturer or their authorized dealer stockiest / Distributor/Agent along with valid certificate should quote.

क्यू = निर्माता का नाम एवं ब्रांड का उल्लेख किया जाय ।

Q= Makers name and brand to be stated.

डब्ल्यू = नमूना प्रस्तुत किया जाय ।

W= Sample to be submitted.

आरटी= सामग्री सड़क परिवहन द्वारा भेजा जाय।

R. T. = Material to be dispatched by road transport.

डी डी= फर्म गन्तव्य स्थल पर सीधी सुपुर्दगी के लिए उल्लेख करें अन्यथा प्रस्ताव को नजरअंदाज किया जा सकता है।

D. D. = Firm should quote for direct delivery to destination; otherwise the offer is liable to be ignored.

पी = विशिष्टियों के अनुसार पैकिंग शर्तों का पालन किया जाय ।

P = Packing clause as per Speech. Should be strictly followed.

आई वी = यह गुप (IV) की एक मद है, जिन्हें सिंगल,प्वाइंट पूँजीकरण योजना के अंतर्गत एन. एस. आई सी द्वारा विशेष रूप से सूचीबद्ध किया गया है।इन मदों को उनके एन. एस. आई सी क्षेत्र,सं.तारीख का उल्लेख करते हुए कोट करना चाहिए।

IV= This is a group (IV) those firms who are specifically enlisted by NSIC under single point regn. Scheme for This Item are to quote and mention their NSIC Regn. No.date.

आर ई = यह मद सी ओ आर ई/इलाहाबाद के द्वारा अनुमोदित फर्मों के लिए सीमित है।

RE= this item is restricted to CORE/ALDs approved firms.

एम ई = यह मद मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के द्वारा अनुमोदित फर्मों के लिए सीमित है।

ME= This item is restricted to CMEs approved firms .

ई ई = यह मद मुख्य बिजली इंजीनियर के द्वारा अनुमोदित फर्मों के लिए सीमित है।

EE= this item is restricted to CEEs approved firms.

सी एफ = यह मद चित्तरंजन कोच फैक्टरी के द्वारा अनुमोदित फर्मों के लिए सीमित है।

CF= This is restricted to ICFs approved firms.

एल डब्ल्यू = यह मद इंटेग्रल लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा अनुमोदित फर्मों के लिए सीमित है।

LW = This is restricted to CLWs approved firms.

एम पी = निविदा दाताओं की (कंपोनेंटस) सामग्री की क्रियात्मक उपयोगिता और संरचनात्मक स्थायीत्व को प्रभावित किए

बिना,आपूर्ति किये गये प्रत्येक मद (पीस) पर उचित स्थान पर कास्टिंग/स्टेम्पिंग/स्टिचिंग/एम्बोसिंग द्वारा उत्पादक का नाम,उत्पादन माह एवं वर्ष का उल्लेख करना चाहिए।

MP = The tenderer should indicate the manufactures Name, Month and Year of manufacturing by casting /stamping/ Embossing, at appropriate place of each piece supplied, without affecting the functional utility and structural Stability of the components/ material.

जी पी = आई. आर.एस मानक शर्तों के अनुसार गारंटी 24 महीना सुपुर्दगी की तारीख से या 18 महीना कमीशनिंग की तारीख से जो भी पहले हो मान्य होगी।

GP= As per IRS Standard condition of guarantee 24 months from the date of supply or 18 months from the date of commissioning whichever is earlier.

महत्वपूर्ण सूचना IMPORTANT NOTICE

1. दर इकाई किसी भी स्थिति में नहीं बदली जानी चाहिए ।
The rate unit must not under any circumstances be altered.
2. निविदा फार्म में सभी प्रविष्टियां या तो टंकित हो अथवा स्याही से लिखी जानी चाहिए ।
All entries in the Tender Form must be either type written or hand written in ink.
3. जहाँ बिक्री कर लागू हो तथा खरीददार से उसके लिए दावा किए जाने की संभावना हो, वहाँ कर की दर तथा बिक्री कर, पंजीयन संख्या निविदा फार्म में दिए गए मूल्य सहित स्पष्टतः प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जहाँ ऐसा नहीं किया जाएगा वहाँ बिक्री कर के लिए कोई दावा किसी भी परवर्ती स्थिति में और किसी भी आधार पर, जो भी हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Sales tax, where leviable and intended to be claimed from the purchaser, the rate of sales tax and the sales tax registration number should be distinctly shown along with the price quoted in the Tender Form. Where this is not done, no claim for sales tax will be admitted at any later state and on any grounds whatsoever.
4. निविदा भरते समय अस्पष्टता से बचना चाहिए।
Ambiguity must be avoided in filing up of tenders.
5. लिफाफे के ऊपर एवं सभी पत्र व्यवहार में निविदा संख्या और नियत तारीख निरपवाद रूप से उद्धृत की जानी चाहिए।
Tender number and due date must invariable be quoted on the top of the envelope and in all correspondence.
6. जब कभी निविदा सूचियों पर नमूने मांगें जायं तो नमूने कोटेशन के साथ निरपवाद रूप से विधिवत सील बंद एवं मुहर लगा कर भेजे जायं अन्यथा प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
Whenever samples are called for on tender lists, samples must invariably accompany quotations duly Sealed and stamped; otherwise offers will be over looked.
7. सफल निविदाकारों द्वारा संभरित की गई वस्तुएं अनुमोदित नमूनों, विवरण अथवा आलेखों की किस्म और मात्रा के अनुसार और उसके बराबर हों। सफल निविदाकारों द्वारा निर्मित एवं संभरित प्रत्येक वस्तु में उनका मार्का अथवा पहचान मुहर लगी होनी चाहिए।
All articles supplied by successful tenders shall be to the description and quantity and in strict accordance with the equal to the approved samples, specifications or drawings. Each article manufactured and supplied by successful tenders must bear their trade make or identification stamp
8. सभी अस्वीकृत वस्तुएं अस्वीकृति सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर विक्रेताओं द्वारा अपनी देख-रेख और लागत से हटा ली जानी चाहिए। रेल प्रशासन सभी अस्वीकृत वस्तुओं का यथोचित देख-भाल करेगा किन्तु अपने परिसर में पड़े रहने के दौरान इसमें होने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि अस्वीकृत वस्तुओं की आपूर्ति निर्दिष्ट अवधि के अंदर नहीं हटायी जाती है तो रेलवे को फर्म से कोई पत्राचार किए बिना जमीन का, भाड़ा लेने अथवा वस्तु की "माल भाड़ा देय है" बुक करने की स्वतंत्रता होगी। निरीक्षण अधिकारी के अनुसार यदि वस्तु वापसी योग्य हो तो उसे फेंक दिया जाएगा अथवा नष्ट कर दिया जाएगा।
All rejected articles must be removed by the vendors at their own charge and cost within 7 days of the Rejection Notice. The Railway Administrative will give reasonable care to all rejected materials but will not be responsible for any loss or damage that may occur to whist on their premises. If the rejected supply is not removed within the pacified time, the Railway shall be at liberty to charge ground rent or book the material "Freight to Pay" to the firms without any further reference. If in the opinion of the inspection officer the material is not worth returning the same will be thrown away or will be destroyed.
यदि संभरक द्वारा रेलवे को भुगतान के लिए कोई धनराशि देय हो तो रेलवे संभरक को बिल से उसे काट सकती है अथवा सीधे संभरक वसूल कर सकती है।
9. Any money due hereunder from the Supplier to the Railway may be either deducted by the Railway from the Supplier's bills or may be recovered from the Supplier direct

जब वस्तुएं या तो आई.आर.एस,आई.एस.डी,डी.ई.एस.ए.अथवा निविदा में मुद्रित आपूर्ति विनिर्दिष्टों के अनुसार मांगी जाय तो निविदाकारों को इसकी गारंटी देनी होगी कि आपूर्ति की गई सामग्री विनिर्दिष्ट है।उन निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत नमूने जिनकी जांच नहीं की गई तथा नमूना जमा करने वाले अथवा किसी ब्रांड का कोटेशन अथवा बनानेवाले निविदाकारों, को उत्तरदायित्वों से छूटकारा नहीं दिया जाएगा।

10. Where material is asked for to a specification either I.R.S.,I.S.D., D.E.S.A., or as printed in the tender, tenderers must guarantee that the supplies offered are up to specification. Samples submitted with those tenderers are not tested and submission of sample or quotation a brand or make will not absolve the tenderer from the responsibilities.

दर

Rates:

गन्तव्य के आधार पर यदि एफ.ओ.आर में दर उल्लिखित न हो, तो मालगाड़ी/ गाड़ी/सड़क परिवहन द्वारा माल भाड़ा की रकम को साफ-साफ और अलग-अलग दर्शाया जाय।

11. .If the rates are not quoted on F.O.R destination basis, the amount to freight charges by Goods/Passenger train / Road transport should be indicated clearly & separately.

फैक्स के माध्यम से प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा

12. Quotation received through FAX will not be entertained.

एक्साइज ड्यूटी क्लॉज

13. **Excise Duty Clause:**

यदि यह ड्यूटी/कर योग्य मद है और मौजूदा विक्रय कर/ एक्साइज ड्यूटी अथवा कोई अन्य कर या ड्यूटी की दर से विधिक रूप से कर योग्य होता है,तो ऐसे करों/ड्यूटियों में शामिल अथवा वर्जित दरों को ध्यान दिए बिना अलग- अलग उनका उल्लेख अवश्य किया जाए।यदि किसी अन्य करों/ड्यूटियों के विक्रय कर/ई.डी की दर विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है,तो ऐसा समझा जाएगा कि दर करों/ड्यूटियों के उच्चतर दर में शामिल है जैसा कि उस मद के लिए लागू है, रेलवे द्वारा जो उचित ठहराया और यह तथ्य कि कीमत में शामिल करों/ड्यूटियों की दर को 'क्रय आदेश' में समाविष्ट किया जाएगा और ऐसी स्थिति में यह विक्रेता का उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने दावे के साथ आवश्यक दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत करें। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 64 ए के अनुसार भुगतान नियंत्रित/प्रभावित होगी जो कि समय - समय पर संशोधित होता है।दर की कोटिंग करते समय फर्म को सूचित करना है कि वे मोडवैट पर विचार किए अथवा नहीं।

If it is a dutiable / taxable item, the current rate of sales tax / excise duty or any other taxes or duties legally livable must be mentioned separately irrespective of rates being inclusive of exclusive of such taxes / duties. If the rate of sales tax / E. D. of any other taxes / duties is not specifically mentioned, the rate will be treated inclusive of the highest rate of taxes / duties as applicable for that item or as reasonable ascertained by the Railways and this fact viz. price is inclusive of taxes / duties at the rate of will be incorporated in the "purchaser order". And in such case, it would be the responsibility of the vendor to submit necessary documentary evidence along with his claim; payment will be regulated / effected as per the Section 64A of Sale of Goods Act. 1930 as amended from time to time. Firms to indicate clearly whether they have considered the modvat while quoting the rate or not.

(G.C. Das)

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक,

पूर्व रेलवे, हावड़ा

Sr.Divl .Materials Manager
Eastern Railway, Howrah